



## **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 03 अक्टूबर 2024**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय पुत्र बाबू सिंह निवासी मौ0 अजीजाबाद कस्बा व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 12.05.2008 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 142/08 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.11.2008 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 07.10.2024 को न्यायाधीश श्री चन्द्र विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संजय को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सेल बुलन्दशहर**